**General Response of IRDAI to the Feedback Received on the Draft IRDAI (Third Party Administrators – Health Services) (Amendment) Regulations, 2026.**

In accordance with clause (b) of Section 114A of the Insurance Act, 1938, the IRDAI hereby publishes a general statement of its response to the comments received from the public and other stakeholders on the Exposure Draft of the **IRDAI (Third Party Administrators – Health Services) (Amendment) Regulations, 2026**, which was published on the Authority's website on 19th June, 2026, inviting comments from the public and all stakeholders. The statement is set out below.

| Regulation no. in Exposure Draft | Brief of feedback received from stakeholders | Response of IRDAI |
|---|---|---|
| - | **Preamble:**<br><br>**Feedback:** The preamble to the draft amendment Regulations invoked powers only under Section 114A of the Insurance Act, 1938. It was suggested that all the enabling provisions under which the amendments are being carried out should be invoked. | **Feedback Accepted.** The preamble has been expanded to expressly invoke Section 114A read with Sections 42D and 42E of the Insurance Act, 1938, and Section 14 read with Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, to clearly reflect the statutory provisions under which the Authority is exercising its powers to notify the present amendments. |
| - | **Objective clause:**<br><br>**Feedback:** The draft amendment Regulations did not contain an objective clause. It was suggested that the purpose of the amendments be set out expressly | **Feedback Accepted**. An Objectives clause has been inserted as Regulation 2 to explicitly set out the objectives of the present amendments, thereby providing greater clarity regarding their purpose. |
| **2(ii)** | **Feedback:** It was suggested that the proposed substitution of the word "Authority" with "Competent Authority", except where it has been replaced with "IRDAI", may give rise to ambiguity and interpretational issues, as the draft employs the expressions "Authority", "Competent | **Feedback Accepted.** The proposal to substitute the expression "Authority" with "Competent Authority" or "IRDAI" throughout the Principal Regulations has been dropped, and the expression "Authority" has been retained. Consequently, the proposed amendments to |

| | | |
|---|---|---|
| | Authority", and "IRDAI" at different places without a clear basis for such distinction. | Regulation 2 and Regulations 5, 6, 7(2),9,14, 16, 17(3),19, 24 and 27 have been omitted from the draft amendments. |
| **7(7)** | **Procedure for renewal of Certificate of Registration:**<br><br>**Feedback:** The draft provision expressly refers to the issuance of a Certificate of Registration and continuation of registration, without clearly indicating whether the existing Certificate of Registration (CoR) is to be renewed or a fresh CoR is to be issued. The draft should also clearly specify the authority to whom the application for renewal is required to be made. | **Feedback Accepted.** The provision has been redrafted to clearly provide that existing TPAs holding a valid Certificate of Registration (CoR) shall apply to the Authority for renewal of their CoR. Upon such renewal, a revised Certificate of Registration shall be issued in accordance with Section 42D of the Insurance Act, 1938. |
| **9(4)** | **Validity of the Certificate of Registration.**<br><br>**Feedback:** Clarity was sought on the validity of the Certificate of Registration (CoR) in cases where a TPA fails to pay the Annual Fee within the prescribed time, and on the procedure to be followed where such non-payment results in the suspension of the TPA and the effects of such suspension. | **Provision retained: Feedback Not Accepted.** Section 42D of the Insurance Act, 1938 expressly provides that the Certificate of Registration (CoR) of a TPA may be suspended or cancelled, inter alia, for non-payment of the Annual Fee. Further, the consequences of suspension, cancellation, or non-renewal of the Certificate of Registration are already comprehensively provided for under Regulation 18 of the Principal Regulations. Accordingly, no further amendment on this aspect is considered necessary. |
| **9(6)** | **Annual Fee:**<br><br>The annual fee of ₹50,000 plus applicable taxes would impose a new recurring cost on TPAs. It is suggested adopting a graded or tiered fee structure linked to the | **Feedback Not Accepted.** Under the existing regulatory framework, the renewal fee is ₹1,50,000 for a period of three years. The proposed amendment merely harmonizes the fee structure by |

| | | |
|---|---|---|
| | scale of operations (such as the number of policies or claims serviced) instead of a uniform fee. It is emphasized that the fee should be minimal, should not discourage new entrants, and may be calibrated based on the nature and volume of business to reflect the regulatory cost. | prescribing an Annual Fee of ₹50,000 per annum, without increasing the overall quantum of the fee payable. Accordingly, the amendment does not result in any increase in the total fee burden; rather, it streamlines and rationalizes the fee structure on an annual basis. In view of the above, the suggestion to adopt a phased or tiered fee structure is not considered necessary at present. |
| **13** | **Listing of TPAs.**<br>**Feedback:** The draft proposed a comprehensive framework for the listing of TPAs. Stakeholders raised comments on various aspects of the proposed framework, including the requirement for intimation of listing, prior approval of the Authority for transfer of shareholding exceeding five per cent, and intimation of changes in the shareholding pattern of TPAs. | **Provision omitted.**<br>Upon consideration of the feedback received, it has been felt appropriate to defer the proposed provisions relating to the listing of TPAs. Since the issue of listing is not unique to TPAs and may equally arise in respect of other categories of insurance intermediaries, it has been considered appropriate to examine the matter holistically with a view to developing a uniform regulatory framework governing the listing of all categories of intermediaries. |
| **16(1)(r)** | **Cancellation of Registration:**<br>It was suggested that the ground for cancellation be aligned with the language of the statute by expressly specifying the relevant ground, instead of making a general reference to non-compliance with Section 42D(6) of the Insurance Act, 1938. | **Feedback Accepted**. The clause has been reworded to align with the language of Section 42D(6) of the Insurance Act, 1938, by providing that the Certificate of Registration may be cancelled where the TPA commits any contravention or default specified under sub-section (6) of Section 42D. |

| एक्सपोज़र ड्राफ्ट में विनियम सं. | हितधारकों से प्राप्त अभिमत का संक्षिप्त विवरण | आईआरडीएआई की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| - | **अभिमत:** मसौदा संशोधन विनियमों की प्रस्तावना में केवल बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114A के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का ही उल्लेख किया गया था। यह सुझाव दिया गया कि जिन सभी सक्षम प्रावधानों के अंतर्गत ये संशोधन किए जा रहे हैं, उनका भी प्रस्तावना में उल्लेख किया जाना चाहिए। | **अभिमत स्वीकार किया गया।** प्रस्तावना का विस्तार करते हुए इसमें स्पष्ट रूप से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114A, जिसे धाराओं 42D तथा 42E के साथ पठित किया जाए, तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14, जिसे धारा 26 के साथ पठित किया जाए, का उल्लेख किया गया है, ताकि उन वैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जा सके जिनके अंतर्गत प्राधिकरण वर्तमान संशोधनों को अधिसूचित करने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। |
| - | **अभिमत:** मसौदा संशोधन विनियमों में उद्देश्य संबंधी कोई उपबंध सम्मिलित नहीं था। यह सुझाव दिया गया कि संशोधनों के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए। | **अभिमत स्वीकार किया गया।** वर्तमान संशोधनों के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करने तथा उनके प्रयोजन के संबंध में अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए विनियम 2 के रूप में "उद्देश्य" संबंधी उपबंध सम्मिलित किया गया है। |
| 2(ii) | **अभिमत:** यह सुझाव दिया गया कि जहाँ-जहाँ "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "आईआरडीएआई" का प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ "प्राधिकरण" के स्थान पर "सक्षम प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव से अस्पष्टता तथा व्याख्यात्मक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि मसौदे में "प्राधिकरण", "सक्षम प्राधिकरण" तथा "आईआरडीएआई" शब्दों का विभिन्न स्थानों पर बिना किसी स्पष्ट आधार के प्रयोग किया गया है। | **प्रतिक्रिया स्वीकार की गई।** प्रधान विनियमों में सर्वत्र "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी" अथवा "आईआरडीएआई" शब्द प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है तथा "प्राधिकरण" शब्द को यथावत् रखा गया है। परिणामस्वरूप, विनियम 2 तथा विनियम 5, 6, 7(2), 9, 14, 16, 17(3), 19, 24 और 27 में प्रस्तावित संशोधनों को मसौदा संशोधनों से हटा दिया गया है। |
| 7(7) | **अभिमत:** मसौदा उपबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने तथा पंजीकरण की निरंतरता का स्पष्ट उल्लेख है, किन्तु | **अभिमत स्वीकार किया गया।** उपबंध का पुनः प्रारूपण किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वैध पंजीकरण |

| | | |
|---|---|---|
| | यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) का नवीकरण किया जाना है अथवा नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाना है। यह भी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि नवीकरण हेतु आवेदन किस प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है। | प्रमाणपत्र (CoR) धारण करने वाले विद्यमान टीपीए अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु प्राधिकरण को आवेदन करेंगे। ऐसे नवीकरण के उपरांत, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42D के अनुसार संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। |
| **9(4)** | **अभिमत:** ऐसी स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) की वैधता के संबंध में स्पष्टता अपेक्षित थी, जब कोई टीपीए निर्धारित समय के भीतर वार्षिक शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है। साथ ही, ऐसी स्थिति में, जब वार्षिक शुल्क का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप टीपीए का पंजीकरण निलंबित किया जाता है, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे निलंबन के प्रभावों के संबंध में भी स्पष्टता का अनुरोध किया गया। | **उपबंध यथावत रखा गया।** अभिमत स्वीकार नहीं किया गया। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42D में स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि वार्षिक शुल्क का भुगतान न किए जाने सहित अन्य कारणों से टीपीए का पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन, निरस्तीकरण अथवा नवीकरण न किए जाने के परिणामों का व्यापक प्रावधान मूल विनियमों के विनियम 18 में पहले से ही किया गया है। अतः इस विषय पर किसी अतिरिक्त संशोधन की आवश्यकता नहीं समझी गई। |
| **9(6)** | **अभिमत:** ₹50,000 तथा लागू करों के वार्षिक शुल्क से टीपीए पर एक नया आवर्ती वित्तीय भार पड़ेगा। यह सुझाव दिया गया कि एक समान शुल्क के स्थान पर परिचालन के स्तर (जैसे सेवित पॉलिसियों अथवा निपटाए गए दावों की संख्या) से संबद्ध चरणबद्ध अथवा स्तरीय शुल्क संरचना अपनाई जाए। यह भी बल दिया गया कि शुल्क न्यूनतम रखा जाए, ताकि नए प्रतिभागियों का प्रवेश हतोत्साहित न हो, तथा इसे व्यवसाय की प्रकृति और मात्रा के आधार पर इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि यह विनियामक लागत को यथोचित रूप से प्रतिबिंबित करे। | **प्रतिक्रिया स्वीकार नहीं की गई।** वर्तमान विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत नवीकरण शुल्क तीन वर्ष की अवधि के लिए ₹1,50,000 निर्धारित है। प्रस्तावित संशोधन द्वारा कुल देय शुल्क में कोई वृद्धि किए बिना शुल्क संरचना का सामंजस्य स्थापित करते हुए ₹50,000 प्रति वर्ष का वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। अतः इस संशोधन से कुल शुल्क भार में कोई वृद्धि नहीं होती है; बल्कि यह शुल्क संरचना को वार्षिक आधार पर सुव्यवस्थित एवं युक्तिसंगत बनाता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, चरणबद्ध अथवा स्तरीकृत शुल्क संरचना अपनाने के सुझाव को वर्तमान में |

| | | |
|---|---|---|
| | | स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं माना गया है। |
| **13** | **अभिमत:** मसौदे में टीपीए के सूचीकरण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तावित की गई थी। हितधारकों ने प्रस्तावित रूपरेखा के विभिन्न पहलुओं पर अभिमत व्यक्त किए, जिनमें सूचीकरण की सूचना देने की आवश्यकता, पाँच प्रतिशत से अधिक अंशधारण के अंतरण के लिए प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति तथा टीपीए के अंशधारण प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तनों की सूचना देने से संबंधित प्रावधान सम्मिलित थे। | **उपबंध विलोपित किया गया।** प्राप्त अभिमतों पर विचार करने के उपरांत यह उपयुक्त समझा गया कि टीपीए के सूचीकरण से संबंधित प्रस्तावित उपबंधों को फिलहाल स्थगित रखा जाए। चूँकि सूचीकरण का विषय केवल टीपीए तक सीमित नहीं है और बीमा मध्यस्थों की अन्य श्रेणियों के संदर्भ में भी समान रूप से उत्पन्न हो सकता है, अतः इस विषय का समग्र रूप से परीक्षण कर सभी श्रेणियों के बीमा मध्यस्थों के सूचीकरण के लिए एक समान विनियामक ढाँचा विकसित करना अधिक उपयुक्त समझा गया है। |
| **16(1)(r)** | **अभिमत:** यह सुझाव दिया गया कि निरस्तीकरण के आधार को अधिनियम की भाषा के अनुरूप बनाया जाए तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42D(6) के अनुपालन न करने का सामान्य उल्लेख करने के स्थान पर संबंधित आधार का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। | **अभिमत स्वीकार किया गया।** इस उपबंध का पुनः प्रारूपण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42D(6) की भाषा के अनुरूप किया गया है। अब यह उपबंध करता है कि यदि कोई टीपीए धारा 42D की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट किसी उपबंध का उल्लंघन करता है अथवा उसमें निर्दिष्ट किसी चूक का दोषी पाया जाता है, तो उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है। |